

भारत सरकार  
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय  
(हिन्दी अनुभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली  
दिनांक: 08/04/2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय : हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से सम्बन्धित 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही की प्रगति रिपोर्ट के प्रेषण के सम्बन्ध में।

प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर महानिदेशालय के सभी अनुभागों द्वारा हिन्दी की तिमाही प्रगति रिपोर्ट हिन्दी अनुभाग को भेजी जाती है जिसके आधार पर महानिदेशालय की समेकित रिपोर्ट को तैयार कर मंत्रालय को भेजा जाता है।

2. इसी क्रम में सभी अनुभागों से अनुरोध है कि हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से सम्बन्धित 31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि की 'तिमाही प्रगति रिपोर्ट' (भाग-1) निर्धारित प्रपत्र (संलग्न) में भरकर प्रमाण-पत्र सहित दिनांक 18.04.2022 तक हिन्दी अनुभाग को भेज दी जाए ताकि महानिदेशालय की समेकित रिपोर्ट मंत्रालय को यथासमय भेजी जा सके। उक्त रिपोर्ट का निर्धारित प्रोफॉर्म नीचे दिए गए लिंक से भी डाउनलोड किया जा सकता है:

[http://rajbhashaqpr.gov.in/Help/qpr\\_Offices\\_Psus\\_hindi.pdf](http://rajbhashaqpr.gov.in/Help/qpr_Offices_Psus_hindi.pdf)

3. रिपोर्ट भेजने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि रिपोर्ट के सभी कॉलम अनुभाग/एकक/प्रकोष्ठ में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर भरे गये हैं और कोई भी कॉलम को रिक्त नहीं छोड़ा गया है।

संलग्नक : तिमाही रिपोर्ट प्रपत्र (भाग-1)

(लक्ष्मी गर्ग)  
सहायक निदेशक (राजभाषा)

सेवा में,

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के सभी अनुभाग/प्रकोष्ठ (संलग्न सूची अनुसार)।

प्रतिलिपि:

1. संयुक्त सचिव (आरएम), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली के निजी सचिव को सूचनार्थ।
2. निदेशक (सीएसपी), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
3. प्रभारी/आईटी प्रकोष्ठ को इस कार्यालय ज्ञापन को डीजीएचएस के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।



केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संबंध एवं अधीनस्थ कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों  
आदि में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट

.....को समाप्त तिमाही

**भाग - I (प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर भरा जाए)**

कार्यालय का नाम और पूरा पता \_\_\_\_\_

संबंधित राजभाषा अधिकारी का फोन नं. एस.टी.डी कोड \_\_\_\_\_ फोन नं. \_\_\_\_\_ ई-मेल \_\_\_\_\_

**1. राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजात**

- (क) जारी कागजात की कुल संख्या \_\_\_\_\_
- (ख) द्विभाषी रूप में जारी कागजात की संख्या \_\_\_\_\_
- (ग) केवल अंग्रेजी में जारी किये गए कागजात \_\_\_\_\_
- (घ) केवल हिंदी में जारी किये गए कागजात \_\_\_\_\_

**2. हिंदी में प्राप्त पत्र (राजभाषा नियम 5)**

- (क) हिंदी में प्राप्त पत्रों की कुल संख्या \_\_\_\_\_
- (ख) इनमें से कितनों के उत्तर हिंदी में दिए गए \_\_\_\_\_
- (ग) इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए \_\_\_\_\_
- (घ) इनमें से कितनों के उत्तर दिए जाने अपेक्षित नहीं थे \_\_\_\_\_

**3. अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाने की स्थिति (केवल 'क' एवं 'ख' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के लिए)**

	अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों की संख्या	इनमें से कितनों के उत्तर हिंदी में दिए गए	इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए	इनमें से कितनों के उत्तर अपेक्षित नहीं थे
	1	2	3	4
'क' क्षेत्र				
'ख' क्षेत्र				

**4. भेजे गये मूल पत्रों का ब्यौरा**

	हिंदी में	अंग्रेजी में	भेजे गए पत्रों की कुल संख्या
	1	2	3
'क' क्षेत्र को			
'ख' क्षेत्र को			
'ग' क्षेत्र को			

**5. फाइलों/दस्तावेजों पर टिप्पण लेखन का ब्यौरा \***

- हिंदी में लिखी गई टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या
- अंग्रेजी में लिखी गई टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या
- टिप्पणियों के पृष्ठों की कुल संख्या

\*हिंदी में टिप्पण-पृष्ठों की गणना करते समय आधे से कम लिखे हुए पृष्ठ को आधा पृष्ठ तथा आधे से अधिक लिखे हुए पृष्ठ को पूरा पृष्ठ समझा जाए ।

6. हिंदी कार्यशालाएं

तिमाही के दौरान पूर्ण दिवसीय आयोजित कार्यशालाओं की संख्या	इनमें प्रशिक्षित कार्मिकों की कुल संख्या	
	अधिकारी	कर्मचारी
1	2	3

नोट : कार्यालय के समस्त कार्मिकों को 2 वर्ष में कम से कम एक बार प्रशिक्षित किया जाना अपेक्षित है ।

7. राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक

- (क) राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की तिथि .....
- (ख) अधीनस्थ कार्यालयों में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की संख्या .....
- (ग) तिमाही में आयोजित बैठकों की संख्या .....
- (घ) बैठकों से संबंधित कार्यसूची और कार्यवृत्त क्या हिंदी में जारी किए गए ? हां/नहीं

8. हिंदी सलाहकार समिति की बैठक के आयोजन की तिथि

(केवल मंत्रालयों/विभागों के लिए) \_\_\_\_\_

9. तिमाही में किए गए उल्लेखनीय कार्य/उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण (अधिकतम 250 कैरेक्टर)

10. उल्लिखित आंकड़ों की सत्यता के संबंध में प्रमाण-पत्र संलग्न है ।

मंत्रालय/विभाग/संगठन की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष का नाम .....

पदनाम .....

एसटीडी कोड सहित फोन नम्बर .....

फैक्स नम्बर .....

ई-मेल का पता .....

नोट : कोई भी कॉलम खाली न छोड़ा जाए और सूचना स्पष्ट रूप से दी जाए ।

## प्रमाण-पत्र

कार्यालय कोड : .....

वित्तीय वर्ष : .....

“मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि संलग्न ..... को समाप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट(भाग-11) में दी गई सूचना उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर बनाई गई है तथा मेरी जानकारी के अनुसार पूर्णतया सत्य है । मैं यह अच्छी तरह समझता हूँ कि राजभाषा अधिनियम, 1963 एवं राजभाषा नियम, 1976 के उपबंधों में दिए गए निदेशों के समुचित अनुपालन की जिम्मेदारी अधोहस्ताक्षरी की है । यदि किसी स्टेज पर रिपोर्ट में भरे गए आंकड़े असत्य अथवा बढ़ा-चढ़ा कर दिखाए गए पाए जाते हैं तो इस कार्यालय को अगले 03 वर्षों के लिए राजभाषा पुरस्कार से वंचित कर दिया जाएगा तथा गलत सूचना देने के लिए कार्रवाई हेतु मामला मेरे नियंत्रक कार्यालय/मंत्रालय के संज्ञान में भी लाया जाएगा । ”

(मोहर सहित हस्ताक्षर)

मंत्रालय/विभाग/संगठन की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष का नाम.....

पदनाम.....

कार्यालय का नाम.....

दूरभाष/फैक्स.....

ई-मेल का पता.....

तिथि :-

स्थान :-

नोट - उक्त हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र की पी.डी.एफ. सॉफ्टकापी तिमाही प्रगति रिपोर्ट के साथ अनिवार्य रूप से लोड की जाए अन्यथा आपकी रिपोर्ट अधूरी समझी जाएगी ।

